आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1992)2

ए एल बहरी, जे के समक्ष

केवल कृष्ण और अन्य - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

जरनैल सिंह और अन्य - उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं. 1990 *का* 3419

5 मार्च, 1991।

1. *पंजाब प्री-एम्पशन अधिनियम,* 1913– *धारा* 28-A - *वादी ने प्री-एम्पशन के लिए दो मुकदमे दायर किए- दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी ने प्री-एम्पशन अधिनियम की धारा 28-A के तहत पहले के मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया - धारा* 28-A *के तहत केवल वादी ही आवेदन दायर कर सकता है जिसका दावा स्वामित्व से प्राप्त प्री-एम्पशन के अधिकार पर आधारित है - प्रतिवादी के लिए अधिकार उपलब्ध नहीं है।*

यह माना गया कि धारा 28-A की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि इस प्रावधान के तहत एक आवेदन वादी द्वारा दायर करने पर विचार किया जाता है, जिसका दावा भूमि के स्वामित्व से प्राप्त *प्री-एम्पशन* के अधिकार पर आधारित है। यही सादृश्य प्रतिवादी की इस दलील पर लागू नहीं किया जा सकता कि एक या दूसरे आधार पर वादी द्वारा पहले स्थापित मुकदमे पर रोक लगाई जाए।

(पैरा 3)

2. *सिविल प्रक्रिया संहिता,* 1908 (1908 का V)-*धारा* 10-*जब दोनों मुकदमों में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से मुद्दा समान होता है तो यह स्पष्ट रूप से आकर्षित होता है - एक मुद्दे को मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है - एक मुद्दे* का *दोनों मुकदमों में एक समान होने के कारण मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।*

माना जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 तब लागू होती है जब दोनों मुकदमों में *प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से मुद्दा* समान होता है। मुद्दों में से एक को मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 4)

श्री संजीव कुमार एचसीएस, उप न्यायाधीश तृतीय श्रेणी करनाल के आदेश दिनांक 26 नवंबर 1990,में संशोधन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका, पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट के आदेश 28-A के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर किया गया, मुख्य मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है जब तक कि 4 कनाल भूमि के संबंध में पहले के वाद सं 1990 की 520 का निर्णय नहीं आ जाता और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

दावा: प्री-एम्पशन के माध्यम से कब्जे के लिए मुकदमा। प्रतिवादी संख्या 1 *से 3/विक्रेता /आवेदक* की ओर से पंजाब प्री-एम्पेप्शन एक्ट की *धारा 28-A के तहत आवेदन दायर किया गया है।*

पुनरीक्षण में दावा: निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

1991 का सीएम नंबर 904-सीआईआई

धारा 151 *सी.पी.सी. के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि वह प्रतिवादी-प्रतिवादियों को विवाद में भूमि से मिट्टी खोदने और हटाने और भूमि की प्रकृति को बदलने से रोका जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सी. बी. गोयल, उनके साथ अधिवक्ता आर. सी. चौहान।

उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट एसएस राठौर।

निर्णय

ए. एल. बहरी, जे.

1) यह पुनरीक्षण याचिका 26 नवंबर, 1990 को उप न्यायाधीश तृतीय श्रेणी करनाल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसमें पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट की धारा 28-A के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया गया था और चार कनाल भूमि के संबंध में 1990 के सिविल मुकदमा संख्या 520 में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

2) एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही व्यक्ति को बेची गई जमीन के अलग-अलग टुकड़ों से संबंधित प्री-एम्पशन के लिए दो मुकदमे दायर किए गए थे। 1990 का सिविल मुकदमा संख्या 520 4 कनाल भूमि से संबंधित है जिसे 11 मई, 1990 को बेचा गया था, 1990 का सिविल सूट नंबर 521 18 मई, 1990 को बेची गई 66 कनाल भूमि से संबंधित है। संयुक्त खता में सह-हिस्सेदार होने का दावा करने वाले वादी

द्वारा प्री-एम्पशन के लिए मुकदमे दायर किए गए हैं। बाद के मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा प्री-एम्पशन अधिनियम की धारा 28-A के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसमें पहले स्थापित मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कहा गया था।

"28-A *कुछ मामलों में* प्री-एम्पशन *वाद के निर्णय* (1992)2
को स्थगित करना- (1) यदि प्री-एम्पशन के लिए किसी वाद में, कोई व्यक्ति कृषि भूमि या अन्य अचल संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त प्री-एम्पशन के अधिकार पर कोई दावा या दलील देता है, और भूमि या संपत्ति का शीर्षक उसके संबंध में प्री-एम्पशन के अधिकार के प्रवर्तन द्वारा पराजित होने के लिए उत्तरदायी है, तो न्यायालय दावे या याचिका पर तब तक निर्णय नहीं लेगा जब तक कि प्री-एम्पशन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि समाप्त हो चुकी हो और अवधि के दौरान भूमि या संपत्ति के संबंध में प्री-एम्पशन के लिए मुकदमे, यदि कोई हों, अंतिम रूप से तय किए गए हैं।

(2) यदि कृषि भूमि या अन्य अचल संपत्ति का स्वामित्व सर्वोच्च अधिकार के प्रवर्तन से खो जाता है, तो अदालत उससे प्राप्त प्री-एम्पशन के अधिकार के आधार पर दावे या याचिका को अस्वीकार कर देगी।"

3) उपर्युक्त प्रावधान की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि इस प्रावधान के तहत एक आवेदन वादी द्वारा दायर करने

पर विचार किया जाता है, जिसका दावा भूमि के स्वामित्व से प्राप्त प्री-एम्पशन के अधिकार पर आधारित है। यदि इस तरह के अधिकार को किसी अन्य मुकदमे में पराजित कर दिया गया था, तो पहले स्थापित मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती थी यदि निर्णय ऐसे मुकदमे के निर्णय पर निर्भर था। ट्रायल कोर्ट ने इंद्राज बनाम *अमी लाल और अन्य*[1] मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया जिसमें वादी द्वारा दायर आवेदन पर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। उपरोक्त निर्णय को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि भले ही प्रतिवादी ने ऐसा आवेदन दायर किया हो, निर्णय के अनुपात का पालन किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सही नहीं है। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 28-A केवल वादी द्वारा प्री-एम्पशन के अधिकार के अपने दावे से संबंधित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने पर दायर किए जाने वाले आवेदन पर विचार करती है। यही सादृश्य प्रतिवादी की इस दलील पर लागू नहीं किया जा सकता कि एक या दूसरे समान आधार पर वादी के पहले स्थापित मुकदमे पर रोक लगाई जानी चाहिए।

4) अंत में, प्रतिवादी के वकील ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 10 पर भरोसा किया है कि भले ही प्री-एम्पशन अधिनियम की धारा 28-A के प्रावधान लागू नहीं थे, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत अदालत में

[1] 1988 P.J.J. 268.

कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार है, क्योंकि दोनों मुकदमों में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं में से एक सामान्य है, हालांकि विषय वस्तु अलग है। उपरोक्त सामान्य प्रश्न वादी के सह-हिस्सेदार होने के नाते प्री-एम्पशन का दावा करने के अधिकार से संबंधित बताया गया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि दोनों मुकदमों में मुद्दा यह होगा कि वादी संयुक्त खाता में सह-हिस्सेदार हैं या नहीं। चूंकि एक मुद्दा आम होगा, इसलिए एक मुकदमे पर रोक लगाई जा सकती है। मुझे डर है कि इस विवाद को फिर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 तब लागू होती है जब दो मुकदमों में प्रत्यक्ष रूप से या काफी हद तक मुद्दा समान होता है। एक मुद्दे को मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है। *श्री मोहन लाल थापर* बनाम भारत *मेसर्स सर्ड इस्पात उदयोग छेहरता*[2], में प्रश्न एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग अवधि के लिए किराए की वसूली के लिए दो मुकदमों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 की प्रयोज्यता के बारे में था। यह माना गया था कि विभिन्न अवधि के लिए किराए की वसूली के लिए दायर किए गए बाद के मुकदमे पर नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत रोक लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि मुद्दे में मामला समान नहीं होगा।

5) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस संशोधन याचिका को स्वीकार किया जाता है। लागू आदेश को रद्द किया जाता है।

[2] 1973 P.L.R. 443.

हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 25 मार्च, 1991 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जाता है। सी.एम. में कोई आदेश आवश्यक नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

j.S:T.

इससे पहले: एम. आर. अग्निहोत्री, जे.

बैंक ऑफ इंडिया, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और

अन्य।

सिविल रिट याचिका सं. 1987 का 3148।

11 मार्च, 1991।

बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1916 - बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 - बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, *1970 - धारा 19 - समाप्ति - बहाली - महाप्रबंधक को* 1976 *के* तहत स्टाफ अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में नामित *किया गया है।विनियम - अधीनस्थ प्राधिकारी अर्थात क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पारित समाप्ति का आदेश अमान्य है - कामगार पूर्ण वेतन के साथ बहाली का हकदार है - बैंक को इस स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्ति का नया आदेश पारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - दोष लाइलाज है।*

यह माना गया कि नियोक्ता के मनमाने और अवैध कार्यों के खिलाफ विभिन्न कॉर्पोरेट निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों की प्रयोज्यता आवश्यक नहीं है। यह केवल संविधान का अनुच्छेद 311 नहीं है, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने पर रोक लगाता है। दूसरी ओर, ची के साथ,